भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. +266
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

+266. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के न्यायालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की पहल भारत के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की पहल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति निहित होती है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नामों को सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजा जाता है ।

तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें, अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति,प्रोन्नति और आरक्षण के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं । अत:, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती या आरक्षण का संबंध है, संघ सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है ।

तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए ।

****